32 वस्तु एवं सेवा कर क्या है ?

What is Goods & Service Tax (GST) ?

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) वस्तुतः सामानों एवं सेवा के विक्रय पर लगाया जाने वाला मूल्य संवर्धित कर वैट (VAT) है। अर्थात विक्रय के दौरान जब भी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है, उस पर कर लगाया जाएगा।
- भारत सरकार एवं राज्यों के संघीय ढाचों के अनुरूप GST के दो भाग होंगे। पहला भाग केन्द्र सरकार द्वारा CGST के रूप में अधिरोपित किया जाएगा, इसी प्रकार दूसरा भाग राज्य सरकार द्वारा SGST के रूप में अधिरोपित किया जाएगा।
- CGST के रूप में भुगतान किए गए कर का इनपुट टेक्स क्रेडिट अगले विक्रय के बिन्दु पर भुगतान योग्य CGST के विरूद्ध प्राप्त होगा। इसी प्रकार SGST के रूप में भुगतान किए गए कर का इनपुट टेक्स क्रेडिट अगले विक्रय के बिन्दु पर भुगतान योग्य SGST के विरूद्ध प्राप्त होगा।
- छोटे व्यापारियों को इस टैक्स से मुक्त रखने के लिए इनके टर्न ओवर की एक सीमा तय की जाएगी।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले निम्नलिखित कर GST मे समाहित हो जाएगे :– केन्द्रीय उत्पाद कर, सर्विस टैक्स, अतिरिक्त उत्पाद कर सरचार्ज शेष आदि।
- इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले किए जाने वाले निम्नलिखित कर GST मे समाहित हो जाएगे– वैट/सेल्स टैक्स, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, प्रवेश कर आदि।

उदाहरण – GST लागू होने के बाद कर निम्नानुसार देय होगे–

वर्तमान में लागू कर				GST मे प्रस्तावित कर			
विवरण	दर	कर	भुगतान योग्य राशि	विवरण	दर	कर	भुगतान योग्य राशि
विक्रय का प्रथम चरण - उत्पादक से थोक विक्रेता							
उत्पादक की विक्रय कीमत			1000	उत्पादक की विक्रय कीमत			1000
एक्साईज ड्यूटी	8.2%	82	1082	केन्द्रीय GST	8%	80	1080
राज्य द्वारा अधिरोपित VAT	12.5%	135	**1217**	राज्य GST	8%	80	**1160**
विक्रय का द्वितीय चरण - थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता							
थोक विक्रेता की विक्रय कीमत (5 % लाभ सहित)			1278	थोक विक्रेता की विक्रय कीमत (5 % लाभ सहित)			1218
				केन्द्रीय GST	8%	97	
राज्य द्वारा अधिरोपित VAT	12.5%	160		इनपुट टैक्स क्रेडिट -CGST (घटाएं)		80	
				कुल देय CGST		17	1235
वैट–इनपुट टैक्स क्रेडिट (घटाएं)		135		राज्य GST	8%	97	
				इनपुट टैक्स क्रेडिट -SGST		80	
कुल मूल्य संवर्धित कर		25	**1303**	कुल देय SGST		17	**1253**
विक्रय का तृतीय चरण -खुदरा विक्रेता से उपभोक्ता							
खुदरा विक्रेता की विक्रय कीमत (10 % लाभ सहित)			1433	खुदरा विक्रेता की विक्रय कीमत (10% लाभ सहित)			1378
				केन्द्रीय GST	8%	110	
राज्य द्वारा अधिरोपित VAT	12.5%	179		इनपुट टैक्स क्रेडिट -CGST (घटाएं)		97	
				कुल देय CGST		13	1391
वैट–इनपुट टैक्स क्रेडिट (घटाएं)		135		राज्य GST	8%	110	
				इनपुट टैक्स क्रेडिट -SGST		97	
कुल मूल्य संवर्धित कर		44	**1477**	कुल देय SGST		13	**1404**
इस प्रकार GST लागू होने के बाद कर सहित विक्रय मूल्य में रू.74 की कमी हो सकती है,जो लगभग 5% है							

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:37 PM